



RIMS/PG.(1)(Std.)/ 5876 Dated 23.11.2019

कार्यालय आदेश

एम्स, नई दिल्ली फा0सं0 4-7/2018 शैक्षणिक-1 दिनांक 29.10.2018 एवं गजट नोटिफिकेशन 28 मार्च 2017 के आलोक में इस संस्थान में कार्यरत/अध्ययनरत जुनियर रेसिडेन्ट एकाडेमिक महिला चिकित्सकों का मातृत्व अवकाश निम्नलिखित प्रावधानों के साथ स्वीकृत की जाती है।

1. मातृत्व अवकाश वेतन के साथ 180 दिनों की अवधि की होगी।
2. उनके पंजीकरण/प्रशिक्षण की अवधि को समान अवधि के लिए बढ़ा दिया जायेगा।
3. उम्मीदवारों को विस्तारित समय के लिए बिना वेतन के काम करना होगा।
4. उनकी विश्वविद्यालय परीक्षा अगले बैच के साथ ली जायेगी।
5. उनके पंजीकरण एवं प्रशिक्षण की अवधि मातृत्व अवकाश के दिनों के बराबर बढ़ाई जायेगी।
6. रिम्स, शासी परिषद् के 40वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक-31045 रा0आ0सं0, राँची दिनांक 18.05.2015 को विलोपित/निष्प्रभावी किया जाता है।

यह आदेश पत्र निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/-

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान,

राँची।

ज्ञापांक 5876/रा0आ0सं0, राँची, दिनांक 23.11.2019

प्रतिलिपि:- 1. निदेशक कोषांग, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. डीन, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

3. चिकित्सा अधीक्षक, लेखा पदाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल/मुख्य रोकड़पाल/स्थापना लिपिक, राज पत्रित/विपत्र लिपिक, स्नातकोत्तर शाखा रिम्स, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. सभी विभागाध्यक्ष, रिम्स, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान

राँची।